1.5

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

शासनादेश संख्या 824/ 111(2)/ 08–43(एम.एल.ए.)/ 07 दिनांक 24.03.2008 द्वारा जनपद बागेश्वर में देवलधार–मैथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु रू0 441.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा का यह सीमान्त क्षेत्र अभी भी विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनु.सार ग्राम भिताड़ी जनसंख्या (76) देवलधार (168) लेटी (322) एवं चौहाना (195) कुल जनसंख्या 764 के ग्रामीणों की दैनिक आवाजाही निजी एवं सरकारी कार्यों हेतु सोमेश्वर एवं अल्मोड़ा आदि स्थानों के लिए होती है परन्तु सीधे यातायात के अभाव के कारण इन ग्रामों की जनता को लगभग 15–20 कि0मी0 पैदल अथवा लगभग 80 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करके वाहनों को बदल कर बागेश्वर होते हुए आना जाना पड़ता है जिसमें अत्यधिक समय एवं धन व्यय होता हैं। जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सोमेश्वर से गिरेछीना तक लगभग 16 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्मित है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय जनता को लगभग 28 से 30 कि0मी0 की दूरी तय करके सोमेश्वर जाने के लिए यातायात एवं परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी जिससे समय एवं धन की बचत होगी। यह क्षेत्र जनपद के दूरस्थ में स्थित है जहां पर यातायात की कठिनाई के कारण अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवायें देने को तैयार नहीं होते। इस मोटर मार्ग का निर्माण होने से छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को विद्यालयों में आने जाने में सुविधा होगी। इससे क्षेत्र में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा एवं स्थानीय युवाओं का पलायन रूकेगा। निर्माण उपरान्त यह मोटर मार्ग जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जलौनी लकड़ी पर निर्भर रहते हैं। सरकार द्वारा वनों के कटान को रोकने हेतु अधिक से अधिक रसोई गैस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है परन्तु परिवहन व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मोटर मार्ग निर्माण होने से वनों के कटान पर भी रोक लगेगी। मार्ग के संरेखण में 6.9975 है0 वन भूमि एवं मात्र 295 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं,। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त स्वतः ही काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 70 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है एवं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारो की निजी नाप भूमि के अलावा लगभग सभी प्रकार की भूमि को वन अधिनियम के दायरे में लिया गया है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास एवं पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर